nps Swasthya

अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाएं, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाये



एनपीएस स्वास्थ्य क्या है?

एनपीएस के अंतर्गत एक पेंशन योजना, जो सेवानिवृत्ति के खर्चों के लिए समर्पित कॉर्पस बनाने में आपकी सहायता करती है और एक एकीकृत प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है।



एनपीएस स्वास्थ्य ही क्यों?

दोहरी सुविधा : एक ही योजना में सेवानिवृत कॉर्पस और स्वास्थ्य कवर दोनों उपलब्ध।

अग्रिम भुगतान के बिना उपचार : पात्र बिलों का भुगतान सीधे अस्पतालों या स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को किया जाता है।

कम लागत वाला समूह कवर : समूह सुपर टॉप–अप स्वास्थ्य पॉलिसी, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं।

परिवार भी कवर : अभिदाता, पति/पत्नी और उन पर आश्रित अधिकतम 2 बच्चे।

कौन शामिल हो सकता है?

एक अलग एनपीएस स्वास्थ्य खाता आपके PRAN के अंतर्गत रखा जाता है।

एनपीएस में शामिल होने के लिए पात्र कोई भी व्यक्ति, जिसमें मौजूदा अभिदाता भी शामिल हैं।

सुपर टॉप–अप समूह स्वास्थ्य बीमा भी एनपीएस स्वास्थ्य में शामिल है।

योजना के साथ मिलने वाला स्वास्थ्य कवर

आपका पेंशन निधि IRDAI-पंजीकृत बीमाकर्ता के माध्यम से समूह **सुपर टॉप–अप** स्वास्थ्य पॉलिसी की व्यवस्था करता है।

योजना के विकल्प

वार्षिक एग्रीगेट डिडक्टिबल	10,000	50,000	1 लाख	3 लाख
फैमिली फ्लोटर बीमित राशि	1 लाख	5 लाख	10 लाख	30 लाख

नामांकन कैसे करें

नामांकन के माध्यम

ऑनलाइन
NPS Central पोर्टल
www.npscentral.in
के माध्यम से।

आपके पास क्या क्या होना चाहिए

एनपीएस मानदंडों के अनुसार **KYC** एवं **PAN**

अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा : आपके और कवर किए गए परिवार के सदस्यों से संबंधित।

एनपीएस स्वास्थ्य प्रदान करने वाले किसी भी पेंशन निधि का चयन करें।

आसान अंशदान

₹ 1,000*
न्यूनतम प्रारंभिक अंशदान

₹ 10
न्यूनतम अनुवर्ती अंशदान

नवीकरण प्रीमियम का भुगतान एनपीएस स्वास्थ्य कॉर्पस से किया जा सकता है।

पात्र स्वास्थ्य देखभाल व्यय को पूरा करने के लिए मौजूदा एनपीएस (ऑल सिटीजन) खाते से लागू डिडक्टिबल की सीमा तक राशि स्थानांतरित की जा सकती है।

*न्यूनतम प्रारंभिक अंशदान = एनपीएस स्वास्थ्य खाते में निवेशित ₹1,000 + प्रथम वर्ष का बीमा प्रीमियम (कर सहित) + ₹200 वार्षिक HBA सर्विसिंग शुल्क (कर अतिरिक्त)।

स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आहरण

एनपीएस स्वास्थ्य खाते से अभिदाता के स्वयं के अंशदान का 25% तक आंशिक आहरण।

पात्र OPD और IPD स्वास्थ्य देखभाल व्यय के लिए।

आहरण की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं

न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं है।

आहरण राशि का निपटान सीधे अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ किया जाता है – अभिदाता को भुगतान नहीं किया जाता।

अस्पताल का बड़ा बिल? समयपूर्व निकास

1. यदि एकल पात्र इन–पेशेंट बिल अनुमत आंशिक आहरण सीमा से अधिक है, तो बिल के निपटान के लिए संचित एनपीएस स्वास्थ्य कॉर्पस का उपयोग किया जाता है – वार्षिकी खरीद अनिवार्य नहीं होती।

2. शेष किसी भी प्रकार की राशि अभिदाता के एनपीएस (ऑल सिटीजन) खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है, बीमा पॉलिसी अपनी शेष अवधि तक जारी रहती है।

समय के साथ

1. **नवीकरण करें और योजना से जुड़े रहें** – एनपीएस स्वास्थ्य में जारी रहें, जिसका नवीकरण 85 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है। लागू बीमा कानूनों के अनुसार प्रतीक्षा अवधि, माइग्रेशन, पोर्टेबिलिटी और मोरेटोरियम क्रेडिट के अधीन नवीकरण के समय पेंशन फंड या बीमाकर्ता बदलें।

2. **सामान्य निकास / मृत्यु के कारण निकास** – पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और आहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत गैर–सरकारी अभिदाताओं पर लागू निकास प्रावधानों के अनुसार; नामांकन संबंधी प्रावधान भी इसी प्रकार लागू होंगे।

3. **बीमा के नवीकरण के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध न होना** – अभिदाता को नवीकरण से कम से कम 90, 60 या 30 दिन पहले सूचित किया जाएगा। यदि अनुग्रह अवधि के बाद भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है और कवर समाप्त हो जाता है, तो एनपीएस स्वास्थ्य खाते को बंद माना जाएगा और इसे एनपीएस (ऑल सिटीजन) खाते में विलय कर दिया जाएगा।



शुल्कः (एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल के अंतर्गत लागू शुल्क + एनपीएस स्वास्थ्य कॉर्पस का अधिकतम 0.08% वार्षिक + ₹200 वार्षिक) तथा लागू कर।

आज ही अपना स्वास्थ्य और सेवानिवृत्ति कॉर्पस बनाना शुरू करें

अपने पेंशन निधि या पीओपी से संपर्क करें या NPS Central www.npscentral.in पर जाएं और नामांकन करें।

अधिक जानकारी के लिए 1800 110 708 पर कॉल करें या 56677 पर NPS SMS करें अथवा pfrda.org.in पर जाएं।



शिकायतें: पेंशन सहायक पोर्टल पर दर्ज करें। दावों के निपटान की प्रक्रिया से उत्पन्न दावा–संबंधी शिकायतों का निपटान बीमाकर्ता द्वारा लागू IRDAI विनियमों के अनुसार किया जाता है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण • www.pfrda.org.in
ई–500, टावर ई, 5वा तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029